भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001

सं.: ई.सी.आई./प्रेस नोट/63/2015 दिनांकः 13 नवबंर, 2015

प्रेस नोट

विषयः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप–निर्वाचन हेतु कार्यक्रम–तत्संबंधी।

झारखण्ड राज्य की विधान सभा में एक स्पष्ट रिक्ति है, जिसे भरा जाना अपेक्षित है :

झारखण्ड विधान सभा में रिक्तियां

क्रम सं0	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम
1.	झारखण्ड	72–लोहरदगा (अ.ज.जा.)

आयोग ने रिक्ति भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप–निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है :–

1.	राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख	19.11.2015 (गुरुवार)
2.	नमांकन की अंतिम तारीख	26.11.2015 (गुरुवार)
3.	नामांकन की संवीक्षा की तारीख	27.11.2015 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	30.11.2015 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	14.12.2015 (सोमवार)
6.	मतगणना की तारीख	17.12.2015 (गुरुवार)
7.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	19.12.2015 (शनिवार)

निर्वाचक नामावली

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित झारखण्ड राज्य की निर्वाचक नामावलियों को 01.01.2015 के संदर्भ में अर्हक तारीख के रूप में संशोधित कर लिया गया है और झारखण्ड में 19.03.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.)

आयोग ने उप–निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएंगे, सभी उपाय कर लिए गए हैं।

मतदाताओं की पहचान

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय उपरोल्लिखित उप–निर्वाचन में मतदाता की पहचान आवश्यक होगी । मतदाता की पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में किसी का भी नाम विद्यमान होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो सके, इसके लिए उपरोक्त उप–निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अनुदेश सं. 437/अनु./2012/सी.सी. एवं बीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी, आंशिक संशोधनों के अध्यधीन, आदर्श आचार संहिता उस/उन जिले/जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जहां पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके कुछ अंश में उप–निर्वाचन होना है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी । आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के उपर्युक्त जिले/जिलों के संबंध में, संघ सरकार पर भी लागू होगी।

ह./–
(सुमित मुखर्जी)
सचिव